

जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक तहसील छोटीसादड़ी

जिला प्रतापगढ़

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों में

राजस्व आमदनी राजस्व की गई राजस्व ग्राम केसुन्दा की जमाबन्दी के

खाता संख्या

95 में सुरेश पुत्र कुलचन्द आजा  
बिना जमा उचित है।

अतः राजस्व रेकार्ड में दुरस्तीकरण किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक

गाराणी

तहसील छोटीसादड़ी



पटवारी


पटवार हल्का केसुन्दा

तहसील छोटीसादड़ी

### कार्यालय तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला- प्रतापगढ़(राज.)

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के आवेदन पर रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू-अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरस्तीकरण किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार छोटीसादड़ी  
जिला प्रतापगढ़ (राज.)

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक राजस्व/2021/101/21

दिनांक 10/11/2021

—:आदेश:—

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना-पत्र रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू-अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार छोटीसादड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में राजस्व ग्राम केसुन्दा पटवार मण्डल केसुन्दा के खाता संख्या 95 की जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्धी किये जाने की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी


छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक 10/11/2021

क्रमांक राजस्व/2021/101/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार छोटीसादड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करावें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री.....
3. रक्षित पत्रावली

  
उपखण्ड अधिकारी

छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज.)